न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:—1/2021 दायर दिनांक:— 25.01.2021

जीसीएमएस नं. 2021/30

सरोज पत्नि रामअवतार जाति ब्राहम्ण निवासी सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——प्रार्थी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार तहसील हिण्डोन जिला करौली राज0

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—1.श्री सीताराम गुर्जर प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार

संशोधित निर्णय दिनांक

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा न0 239 रकबा 1.23 है0. 241 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.45 है0 ग्राम सिकरौदाजट्ट पटवार हल्का सिकरौदामीना, तहसील हिण्डौन, जिला करौली में स्थित है कि जिसकी आवेदिका 1/3 भाग की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

आराजीयात वर्णित मद न0 1 प्रार्थना पत्र के 1/6 भाग को आवेदिका ने भूमि की साबिक खातेदार श्रीमति प्रेमबाई [illegible] गिर्राज प्रसाद व गिर्राज प्रसाद दत्तक पुत्र हरिचरण से जरिये [illegible] 1.2003 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है व उक्त भूमि के 1/6 भाग को दिनांक 13[illegible]9 को भूमि के खातेदार गिर्राज प्रसाद दत्तक पुत्र हरिचरण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। इस प्रकार आवेदिका उक्त वर्णित भूमि के कुल 1/3 भाग की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

आवेदिका द्वारा दिनांक 06.11.2003 को प्रेमबाई व गिर्राजप्रसाद से क्रय की गयी भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में आवेदिका के नाम दर्ज नाम करते समय राजस्व कर्मचारियों की भूल/कदाचार से सरोजबाई पत्नी रामअवतार अंकन दर्ज कर दिया गया है जबकि सरोज पत्नि रामअवतार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना चाहिए था। सरोजबाई पत्नि रामअवतार नाम की कोई महिला ग्राम सिकरोदाजट्ट में नहीं है, बल्कि प्रार्थीया ही सरोज पत्नि रामअवतार है।

भूमि वर्णित मद न0 1 प्रार्थना पत्र की खातेदारी में आवेदिका का नाम सरोज पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/6 व सरोजबाई पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/6 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्बत 2070–2073 है जबकि सरोज पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/3 दर्ज होना चाहिए, जो काबिल दुरूस्ती है।

आवेदिका ने अपने नाम का शुद्धिकरण कराने बाबत तहसीलदार हिण्डौन से दिनांक 08.01.2021 को निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार हिण्डौन ने आवेदिका को आदेशित किया जिस पर तहसीलदार हिण्डौन ने आवेदिका को बताया कि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के आदेश कराकर ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण की कार्यवाही की जा सकेगी, इसलिये आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आरजीयात खसरा न0 239 रकबा 1.23 है0, 241 रकबा .22 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.45 है0 वाके ग्राम सिकरौदाजट्ट पटवार हल्का सिकरौदामीना तहसील हिण्डौन जिला करौली के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदिका के नाम में सरोजबाई पत्नि रामअवतार के स्थान पर सरोज पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/3 संशोधन कर रेवन्यु रिकॉर्ड/ जमाबंदी में संशोधित करने के तहसीलदार हिण्डौन को आदेश प्रदान करे,

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी कराई गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा जबा[illegible]दार हिण्डौन द्वारा अपने जबाव में वादपत्र के मद न[illegible] का हिस्सा 1/6 एवं 1/6 दर्ज है साक्ष्य सबू[illegible]। स्वयं सिद्ध करे, वाद का मद नं0 2, 3 वादिया स्वयं सिद्ध करे, एवं वाद के [illegible] नं0 4, 5, 6 कानूनी है। वाद के मद नं0 7 के संबंध में जबाव अंकित किया है कि ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन के राजस्व अभिलेखों में दर्ज खसरा नं0 239, 241 कुल किता 2 कुल रकवा 1.45 है0 में सरोज पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/6 एवं सरोज बाई पत्नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

रामअवतार हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण सा.देह अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति होने बाबत् साक्ष्य सबूत पेश करती है तो लेण्ड रेकार्ड (तहसीलदार) हिण्डौन को कोई आपत्ति नहीं है, की रिपोर्ट सरकार द्वारा अभिशंषा की गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं रिपोर्ट सरकार तहसीलदार हिण्डौन की अभिशंषा, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 171, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड की प्रति एवं ग्राम पंचायत सिकरौदा मीणा का प्रार्थना पत्र पेश किये है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में सरोज पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/6 एवं सरोज बाई पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण सा.देह करने की अभिशंषा की है, जिनका अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 171 में प्रार्थी के नाम सरोज पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/6 व सरोज बाई पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण सा.देह के स्थान पर सरोज पत्नि रामवतार हिस्सा 1/3 प्रार्थीगण के हक में दुरूस्त किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 171 में प्रार्थी का स्वयं का नाम सरोज पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/6 व सरोज बाई पत्नि रामअवतार हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण सा.देह के स्थान पर सरोज पत्नि रामवतार हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा.देह किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन